

Annexure

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari _____ son/daughter of _____ of village/town _____ in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated ____*. Shri/Smt. / Kumari _____ and / or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State / Union Territory. This is also to certify that he /she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 – Estt.(SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.

Dated :

Seal

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ जिला/मंडल _____ ग्राम/शहर _____ के निवासी हैं जो _____ समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक _____ के संकल्प संख्या _____ के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। * श्री/श्रीमती/कुमारी _____ तथा उनका परिवार सामान्यतया _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के _____ जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993** के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।**

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक

मोहर

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

** समय-समय पर यथासंशोधित

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतया" का वही अर्थ होगा जो अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।